वगैरा

आज पत्रावली पेश हुई । वादीगण के अभिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 9 व उनके अधिवक्ता को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई उपस्थित नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा वाद पत्र बाबत घोषणा खातेदारी, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करते हुये ग्राम रामगढ तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 138, 139, 252, 525, 561 कुल किता 5 रकबा 1.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 228, 236, 237, 251 कुल किता 4 रकबा 0.77 हैक्टयर, का खातेदार घोषित करने हेतु निवेदन किया है। वादीगण का वाद दिनांक 09-07-2010 को डिक्री किया गया।

प्रतिवादी संख्या 9 शैलेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह निवासी महवा द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9,नियम-13 जा.दी.प्रस्तुत करते हुये एकपक्षीय निर्णय दिनांक 09-07-2010 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुये प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया तथा विवाद पत्र को पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिये गये।

प्रतिवादी संख्या 9 व उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी अपने पक्ष के प्रति गंभीर नही है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रतिवादी उपस्थित नहीं है। इसलिये उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09-07-2010 को यथावत रखा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

लय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज, ... बनाम ... मु. सं. ...	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
चूंकि प्रतिवादी संख्या 9 उपस्थित नहीं है अतः उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 9 ने ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की जिससे इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 09–07–2010 को प्रभावित करती हो। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 09–07–2010 यथावत रखा जाता है। बाद की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी महवा (जिला दौसा)	